संख्या– 1133 /38–7–2008–109एनआरईजीए/2007

प्रेषक,

डा0 जे0 एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2008

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा एम0बी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1204/38–7–07–109एनआरईजीए/2007, दिनांकः 23–8–2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

(1) ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले रू0 2.00 लाख तक की सीमा के निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसकी तकनीकी स्वीकृति ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में दी जायेगी।

(2) ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले रू0 2.00 लाख से 4.00 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यों का प्राक्कलन खण्ड में कार्यरत तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किये जाय तथ इनकी तकनीकी स्वीकृति विकास खण्ड में कार्यरत अवर अभियंता द्वारा जायेगी।

(3) ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत कराये ज वाले रू0 4.00 लाख से 7.00 लाख तक की लागत के निर्माण कार्यों प्राक्कलन विकास खण्ड में कार्यरत तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्व तैयार किये जाय तथा इनकी तकनीकी स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा नि में तकनीकी विभागों के सहायक अभियंताओं में से प्रत्येक विकास खण्ड

लिए एक अभियंता को नामित किया जायेगा। नामित अभियंता द्वारा संबंधित विकास खण्ड के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(4) ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले रू0 7.00 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का प्राक्कलन विकास खण्ड में कार्यरत तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा कराये जाय तथा इनकी तकनीकी स्वीकृति निर्माण कार्य के संबंधित विशेषज्ञ विभाग यथा सड़क हेतु लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं तालाब, बंधी, ड्रेन आदि के लिए लघु सिंचाई, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से प्राप्त की जायेगी।

(5) तकनीकी विभागों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

(6) वित्तीय वर्ष के लिए किये जाने वाले कार्यों के प्राक्कलन माह जून तक अवश्य स्वीकृत करा लिये जायेंगे।

2– उपरोक्त शासनादेश दिनांकः 23–08–2007 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 जे0 एन0 चैम्बर)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1133 (1)/38–7–2008 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) स्टॉफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, पंचायती राज/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/भूमि विकास एंव जल संसाधन/वन/सिंचाई/लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।